By Fax/Speed Post

F.No.A.12018/13/2012.AD.III.B
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place
New Delhi-66, the 19th October, 2015.

To

All the Chief Commissioners of Central Excise/Customs under CBEC

Subject: Framing of Recruitment Rules for the post of Stenographer Grade-I under CBEC, Department of Revenue -reg

****

Sir/Madam,

I am directed to say that the Recruitment Rules are to be review and amended after the implementation of the 6th CPC and therefore Recruitment Rules for the post of Stenographer Grade-I has been accordingly reviewed/amended based on the guidelines issued by the DOPT to make them consistent with Model RRs of DOPT.

2. After careful consideration, the Board has amended the RRs for the post of Stenographer Grade-I and the Gazette notification was issued vide GSR 727(E) dated 21.09.2015. A copy of the Gazette Notification is enclosed herewith for your kind information and necessary action.

Encls: As above

Yours faithfully,

(Rajpal Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tel/Fax: 26162780

Copy to: Webmaster, DG, Systems for uploading the same on the website (ii) DG, HRD for information and record (iii) US, RR, UPSC, w.r.t.

(Rajpal Singh)
Under Secretary to the Government of India.
Tel/Fax: 26162780

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2015/भाद्र 30, 1937
No. 584] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015/BHADRA 30, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 727(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क विभाग आशुलिपिक ग्रेड-I(समूह 'ख') भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया था अथवा करने से लोप किया गया था, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क विभाग में आशुलिपिक ग्रेड-I (समूह - ख) के पदों पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्तालय, आशुलिपिक ग्रेड-I (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान — पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. सेवा की अन्य शर्तें —प्रत्येक कॉडर नियंत्रण प्राधिकारी के पास, आशुलिपिक ग्रेड-I का अपना पृथक कॉडर होगा।

6. निरर्हता — वह व्यक्ति; —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी - I	748* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय अराजपत्रित	वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4200/-	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(I) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (II) कुशलता परीक्षण संन्नियम :- (क) श्रुतलेख: 10 मिनट @100 शब्द प्रति मिनट और (ख) अनुलिपिकरण : केवल कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) या 55 मिनट (हिन्दी) । टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु.,+ ग्रेड वेतन 2400/- रु में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पणी 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। परन्तु वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. केन्द्रीय उत्पादशुल्क/सीमाशुल्क आयुक्त - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय अपर/संयुक्त, उत्पादशुल्क/ सीमाशुल्क आयुक्त, - सदस्य 3. केन्द्रीय अपर/संयुक्त, उत्पादशुल्क/ सीमाशुल्क आयुक्त, - सदस्य (समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. केन्द्रीय उत्पादशुल्क/सीमाशुल्क आयुक्त, - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय अपर/संयुक्त, उत्पादशुल्क/सीमाशुल्क आयुक्त, - सदस्य 3. केन्द्रीय अपर/संयुक्त, उत्पादशुल्क/सीमाशुल्क आयुक्त, - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

आशुलिपिक के पद धारण किए हुए हैं :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग वेतन बैंड –1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष के अधिक नहीं होगी। टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. ए.12018/13/2012-प्रशा.III.ख]

राजपाल सिंह,अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2015

G.S.R.727(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Stenographer Grade-I (Group 'B') Recruitment Rules, 2004, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer grade–I (Group–B) in the Central Excise and Customs Department in the Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Commissionerates, Stenographer Grade –I (Group 'B' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Other conditions of Service. — Each Cadre Controlling Authority shall have its own separate cadre of Stenographer Grade-I.

6. Disqualification.—No person;—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay of non-selection Post direct recruits	Whether selection or Non selection.	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-I	748* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Ministerial Non-Gazetted,	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4200	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

H018601/15-2

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(I) 12th Class pass from a recognised Board or University. (II) Skill Test Norms (A)Dictation: 10 minutes @100 words per minutes and (B) Transcription: 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi) only on Computer. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reason to be recorded in writing in the case of Candidates otherwise well qualified	No	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50% by promotion failing which by deputation. (ii) 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade II in the Pay Band- I of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400/-with ten years' regular service in the grade. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered	(Group 'B' Departmental Promotional Committee for considering Promotion) : 1. Commissioner of Central Excise/Customs - Chairman 2. Additional/Joint Commissioner of Central Excise/Customs - Member 3. Additional/Joint Commissioner of Central Excise/Customs - Member (Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Commissioner of Central Excise/Customs - Chairman 2. Additional/Joint Commissioner of Central Excise/Customs - Member 3. Additional/Joint Commissioner of Central Excise/Customs - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government. (A) (I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with ten years' service in the Grade Pay rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1 Rs.5200-20200 with Grade pay Rs. 2400/-or equivalent in the parent cadre/department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputations. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications) **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No.A.12018/13/2012-Ad.III.B]
RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.